रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796] नई दिल्ली, शुक्रवार, नबम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940
No. 796] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 09 नवम्बर, 2018

सं. फेमा. 5 (आर) (1)/ 2018-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली, 2018

सा.का.नि. 1093(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (एफ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं. फेमा.5 (आर)/2016-आरबी, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:-

i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली, 2018 कहलाएंगे।

ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. विनियम 7 में संशोधन :

विनियम 7 में मौजूदा उप-विनियम (4) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"5. भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक तथा विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक, दोनों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में संबन्धित सेबी विनियम के तहत पंजीकृत हो, को समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 के अनुसार निवेश करने के प्रयोजन से ब्याज-रहित विदेशी मुद्रा खाता खोलने और रखने की अनुमति दे सकता है।"

3. अनुसूची 3 में संशोधन :

अनुसूची-3 के पैरा-1 में, "वर्तमान पैरा-**डी** के पश्चात दिये गए शीर्षक "टिप्पणियाँ" में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

__ई.__ कोई व्यक्ति, जो बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक है, और जो उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे : हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, आदि से संबन्धित है, और जो भारत में निवास कर रहा है तथा जिसे भारत सरकार द्वारा दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) प्रदान किया गया है, उसे किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास केवल एक अनिवासी सामान्य (NRO) खाता खोलने की अनुमति है। नागरिकता अधिनियम,1955 के आशय के अंतर्गत वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाने के पश्चात उसके उक्त खाते को निवासी खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस प्रकार के खाते केवल प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा खोले जा सकते हैं।

__"एफ़.__ कोई व्यक्ति, जो बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का नागरिक है, और जो उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे : हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, आदि से संबन्धित है, और जो भारत में निवास कर रहा है तथा जिसने दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) के लिए आवेदन किया है और जो मामला केंद्र सरकार के विचारधीन है, उसे किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास केवल एक अनिवासी सामान्य (NRO) खाता खोलने की अनुमति है, इस प्रकार का खाता छह माह के लिए खोला जाएगा और उसका नवीकरण छह-छह महीनों के अंतराल पर किया जाएगा, बशर्ते कि बशर्ते कि उस व्यक्ति के पास विधिमान्य वीज़ा हो और संबंधित विदेशी (नागरिक) पंजीकरण कार्यालय (FRO) / विदेशी (नागरिक) क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी विधिमान्य आवासीय अनुज्ञापत्र (परमिट) हो। इस प्रकार के खाते केवल प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा खोले जा सकते हैं।"

4. अनुसूची 4 में संशोधन:

अनुसूची 4 में, पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"विशेष अनिवासी रुपया खाता (SNRR) का कार्यकाल कांट्रैक्ट / परिचालन की अवधि / खाता धारक के कारोबार की अवधि के समान होगा और किसी भी स्थिति में सात वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसके नवीकरण के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

बशर्ते कि यदि विशेष अनिवासी रुपया खाता (SNRR) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 के अनुसार भारत में निवेश करने के उद्देश्य से खोला गया है, तो उस पर सात वर्ष की अवधि संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। "

5. अनुसूची 4 में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं. फेमा.5 (आर)/2016-आरबी) की मौजूदा अनुसूची 5 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

अनुसूची 5

[कृपया विनियम- 5(5) देखें]

एस्क्रो खाता खोलने के लिए नियम एवं शर्तें :

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास एस्क्रो एजेंट के रूप में भारतीय रुपये में एस्क्रो खाता संयुक्त रूप से और अलग-अलग निम्नलिखित मामलों में खोला जा सकता है।

1. किसी अनिवासी कॉर्पोरेट (कंपनी) द्वारा खुले प्रस्ताव / गैर-सूचीबद्धता / प्रस्ताव छोडने के जरिए पूंजीगत लिखतों / परिवर्तनीय नोट के अर्जन / अंतरण के लिए।

ए. एस्क्रो खाते में अनुमत जमा निम्नवत हैं :

i. बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण।

ii. समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी की गई गारंटी के जरिए।

बी. एस्क्रो खाते से अनुमत नामे (डेबिट) इस प्रकार हैं:

i. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SAST) विनियमावली अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियम के अनुसार।

सी. इस प्रयोजन के लिए ओवरसीज़ अर्जक द्वारा निवासी अधिकार प्राप्त अधिदेशी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SAST) विनियमावली अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियम के एस्क्रो खाते का परिचालन कर सकता है।

डी. उल्लेखनुसार अपेक्षा पूरी होते ही एस्क्रो खाता बंद कर दिया जाएगा।

2. पूंजीगत लिखतों / परिवर्तनीय नोटों के अर्जन / अंतरण के लिए निवासी और अनिवासी अर्जक द्वारा

ए. एस्क्रो खाते में अनुमत जमा निम्नवत हैं :

i. बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण;

ii. अनिवासी धारक से अंतरण के जरिए पूंजीगत लिखतों / परिवर्तनीय नोटों के अर्जन का प्रस्ताव करने वाले निवासी अर्जक द्वारा बैंकिंग चैनल के जरिए रुपये में प्राप्त प्रतिफल ।

iii. समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी की गई गारंटी के जरिए।

बी. एस्क्रो खाते से अनुमत नामे (डेबिट) इस प्रकार हैं:

i. लाभार्थी के बैंक खाते में पूंजीगत लिखतों / परिवर्तनीय नोटों के निर्गम / अंतरण के लिए प्राप्त प्रतिफल राशि का विप्रेषण (भारत में निर्गमकर्ता अथवा भारत अथवा विदेश में पूंजीगत लिखतों / परिवर्तनीय नोटों का अंतरणकर्ता);

ii. जिस प्रयोजन के लिए एस्क्रो खाता खोला गया था ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेन के विफल होने / सफल न होने के मामले में निधियों के प्रारम्भिक निवेशक की वापसी के लिए प्रति ।

सी. एस्क्रो खाते के साथ रखी /संलग्न प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा प्राधिकृत निक्षेपागार सहभागी के पास एस्क्रो एजेंट के रूप में रखे गए डी मैट खाते से जुड़ सकती हैं।

डी. एस्क्रो खाता जिस प्रयोजन के लिए खोला जाता है उसकी तारीख से अधिकतम 6 महीने की अवधि तक परिचालनीय रहेगा और उल्लेखानुसार अपेक्षा पूरी होते ही अथवा खाता खुलने की तारीख से 6 माह समाप्त होने, जो भी पहले हो, को बंद कर दिया जाएगा। यदि एस्क्रो खाता 6 महीने से अधिक अवधि के लिए खुला रखना आवश्यक हो तो तत्संबंध में रिज़र्व बैंक की विशिष्ट अनुमति प्राप्त की जाए।

ई. उपर्युक्त पैराग्राफ डी. में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, निवासी खरीददार और अनिवासी विक्रेता, अथवा इसके विपरीत, यदि खरीददार और विक्रेता द्वारा इस पर सहमति होती है, तो उनके बीच होने वाले पूंजीगत लिखतों के अंतरण संबंधी मामले में, उनके अंतरण करार की तारीख से अठारह माह से अनधिक अवधि हेतु एवं कुल प्रतिफल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक राशि तक के लिए एस्क्रो एग्रीमेंट किया जा सकता है।

3. समय-समय पर यथाशांशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त मात्रा में अर्जन और अधिग्रहण), 1997 [सेबी (SAST) विनियमावली] अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियम के उपबंधों के अंतर्गत अर्जन/अंतरण किया जा सकेगा।

4. एस्क्रो खाता ब्याज रहित खाता होगा ।

5. एस्क्रो खाते में जमा शेष के बदले निधि अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी।

6. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवायसी दिशानिर्देशों के अनुपालन की अपेक्षा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7. एस्क्रो खाते में जमा शेष, यदि कोई हो, तत्समय लागू विनिमय दर पर (अर्थात्, पूंजीगत लिखतों अथवा परिवर्तनीय नोटों का अर्जन करने वाले भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिमय दर जोखिम का वहन किया जाएगा), उल्लिखित अर्जन संबंधी सभी औपचारिकताओं के पूरी हो जाने के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

8. यदि किसी मामले में अर्जन / अंतरण फलीभूत न हो, तो प्राधिकृत व्यापारी ऐसे विप्रेषणों की सदाशयता के बारे में संतुष्ट होने पर ऐसे एस्क्रो खाते में जमा पूरी राशि के प्रत्यावर्तन / वापसी की अनुमति दे सकते हैं।

9. प्रत्यक्ष विदेशी (FDI) निवेश की रिपोर्टिंग हेतु निर्गमकर्ता अथवा पूंजीगत लिखतों / परिवर्तनीय नोटों के अंतरंक के खाते में निधियों के आने, जैसा भी मामला हो, की तारीख विप्रेषण हेतु संगत तारीख मानी जाएगी।

[फा. सं. 1/31/ई एम 2015]

आर.के. मूलचंदानी, मुख्य महाप्रबंधक

टिप्पण : मूल विनियमावली 01.04.2016 को भारत सरकार के सरकारी राजपत्र–असाधारण-भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में. जी.एस.आर.सं. 389 (ई) के तहत प्रकाशित की गयी थी।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2018

No. FEMA 5 (R)(1)/2018-RB

Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2018

G.S.R. 1093(E)—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub section (3) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, Notification No. FEMA 5(R)/2016-RB dated April 1, 2016, namely:

1. Short Title and Commencement:

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2018.

(ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 7:

In Regulation 7, after the existing sub-regulation (4), the following shall be added, namely:

> *"5. An Authorized Dealer in India may allow a Foreign Portfolio Investor and a Foreign Venture Capital Investor, both registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the relevant SEBI regulations to open and maintain a non-interest bearing foreign currency account for the purpose of making investment in accordance with Foreign Exchange Management (Transfer or issue of security by a person resident outside India) Regulations, 2017, as amended from time to time.*

3. Amendment to Schedule 3:

In Schedule 3, in para 1, under the heading, 'Notes', after existing para 'D', the following shall be added, namely:

> *"E. A person being a citizen of, Bangladesh or Pakistan belonging to minority communities in those countries, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who is residing in India and has been granted a Long Term Visa (LTV) by the Central Government is permitted to open with an authorized dealer only one NRO Account. The said NRO account shall be converted to a resident account once the person becomes a citizen of India within the meaning of the Citizenship Act, 1955. Such accounts can be opened by Authorised Dealers only,*
>
> *F. A person being a citizen of Bangladesh or Pakistan belonging to minority communities in those countries, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who is residing in India and has applied for a Long Term Visa (LTV) which is under consideration of the Central Government is permitted*

to open with an authorised dealer only one NRO Account which will be opened for a period of six months and may be renewed at six monthly intervals subject to the condition that the individual holds a valid visa and valid residential permit issued by Foreigner Registration Office (FRO)/ Foreigner Regional Registration Office (FRRO) concerned. Such accounts can be opened by Authorised Dealers only,"

4. Amendment to Schedule 4:

In Schedule 4, for the existing paragraph 8, the following shall be substituted, namely:

"The tenure of the SNRR account should be concurrent to the tenure of the contract/ period of operation/ the business of the account holder and in no case should exceed seven years. Approval of the Reserve Bank shall be obtained in cases requiring renewal :

Provided the restriction of seven years shall not be applicable to SNRR accounts opened by a person resident outside India for the purpose of making investment in India in accordance with Foreign Exchange Management (Transfer or issue of security by a person resident outside India) Regulations, 2017, as amended from time to time."

5. Amendment to Schedule 5:

In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 [Notification No.FEMA.5(R)/2016-RB dated April 1, 2016], for the existing Schedule 5, the following shall be substituted, namely:

Schedule 5

[See Regulation 5(5)]

Terms and conditions for opening of Escrow Account

An Escrow account in INR can be opened jointly and severally with an Authorised Dealer in India as an Escrow Agent in the following cases subject to the terms and conditions specified in this schedule.

1. By non-resident corporates for acquisition/ transfer of capital instruments/convertible notes through open offers/ delisting/ exit offers.

a. Permitted Credits in the Escrow account are:

i. Foreign Inward remittance through banking channels

ii. by way of a guarantee issued by an authorised dealer bank subject to terms and conditions as specified in the Foreign Exchange Management (Guarantee) Regulations 2000, as amended from time to time.

b. Permitted debits in the Escrow account are:

i. As per SEBI (SAST) Regulations or any other regulations issued by the Security Exchange Board of India (SEBI).

c. The resident mandatee empowered by the overseas acquirer for this purpose, may operate the Escrow account in accordance with SEBI (SAST) Regulations or any other regulations issued by the SEBI.

d. The Escrow account shall be closed immediately after completing the requirements as outlined above.

2. By resident and non-resident acquirers for acquisition/ transfer of capital instruments/convertible notes

a. Permitted Credits in the Escrow account are:

i. Foreign Inward remittance through banking channels;

ii. Receipt of rupee consideration through banking channels by the resident acquirer of capital instruments/convertible notes who proposes to acquire from non-resident holders by way of transfer.

iii. by way of a guarantee issued by an authorised dealer bank subject to terms and conditions as specified in the Foreign Exchange Management (Guarantee) Regulations 2000, as amended from time to time.

b. Permitted debits in the Escrow account are:

i. Remittance of consideration for issue/ transfer of capital instruments/convertible notes directly into the bank account of the beneficiary (issuer in India or transferor of capital instruments/convertible notes in India or abroad);

ii. Remittance of consideration for refund to the initial remitter of funds in case of failure/ non-materialisation of FDI transaction for which the Escrow account was opened.

c. The securities kept/ linked with the Escrow account may be linked with demat account maintained with SEBI authorised Depositary Participants as Escrow agents.

d. The Escrow account shall remain operational for a maximum period of six months only and the account shall be closed immediately after completing the requirements as outlined above or on completion of six months from the date of opening of such account, whichever is earlier. In case the Escrow account is required to be maintained beyond six months, specific permission from the Reserve Bank has to be sought.

e. Notwithstanding what has been stated in paragraph d. above, in case of transfer of capital instruments between a resident buyer and a non-resident seller or vice-versa, if so agreed between the buyer and the seller, an escrow arrangement may be made between the buyer and the seller for an amount not more than twenty five per cent of the total consideration for a period not exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement.

3. Acquisition/ transfer shall be in accordance with the provisions of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person resident Outside India) Regulation 2017, as amended from time to time and Security Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 1997 [SEBI (SAST) Regulations] or other relevant regulations issued by the SEBI.

4. The Escrow account shall be non-interest bearing.

5. No fund or non-fund based facilities would be permitted against the balances in the Escrow account.

6. Requirement of compliance with KYC guidelines issued by the Reserve Bank shall rest with the Authorised Dealer.

7. Balance in the Escrow account, if any, may be repatriated at the then prevailing exchange rate (i.e., the exchange rate risk will be borne by the person resident outside India acquiring the capital instruments/convertible notes), after all the formalities in respect of the said acquisition are completed.

8. In cases, where proposed acquisition/ transfer does not materialise, the authorised dealer may allow repatriation/ refund of the entire amount lying to the credit of the Escrow account on being satisfied with the bonafides of such remittances.

9. For the purpose of FDI reporting, date of transfer of funds into the bank account of the issuer or transferor of capital instruments/convertible notes, as the case may be, shall be the relevant date of remittance.

[F. No. 1/31/EM/2015]

R. K. MOOLCHANDANI, Chief General Manager

Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India–Extraordinary–Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 01.04.2016-G.S.R.No. 389(E).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.11.12 21:37:30 +05'30'